न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. दुलाराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. सुलतान पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 26.12.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता सख्या 63/78 के खसरा न0 1098 की कुल 9.430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता कानाराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 63/78 के खसरा न0 1089 की कुल 9.4340 हैक भूमि में सयुक्त तोर से 1/2 हिस्सा प्राप्त हुई है वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का पिता कानाराम जो काफी वृद्व हो चुके है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी निवेदन किया की वह काफी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वृद्व हो चुका है काश्त करने में असमर्थ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा होता है जिसकी वादी धोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की सहमति के आधार पर काबिल डिक्री होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 63/78 के खसरा न0 1089 की 9.4340हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official